न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :–109/2015/टोंक (2015/00033)

1. मदन पुत्र कल्याण, जाति मीणा, निवासी गुलाबपुरा, तह0 व जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. शंकर पुत्र बच्छा,
2. बजरंगलाल पुत्र बच्छा,
3. प्रेम पुत्री बच्छा,
4. कैलाश पुत्र गोपीलाल,
5. हनुमान पुत्र गोपीलाल,
6. मंगला पुत्र कल्याण,
7. प्रेमलाल पुत्र कल्याण,
8. मोती पुत्र कल्याण,
9. राजाराम पुत्र कल्याण,
10. कन्या पुत्री कल्याण
    समस्त जाति मीणा, निवासी गुलाबपुरा, तह0 व जिला टोंक ।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, टोंक दिनांक 22.9.2015 प्रकरण संख्या 20/2015.

उपस्थितः–

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1से 5.

निर्णय

दिनांकः–27.11.2017

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 22.9.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकर पुत्र बच्छा ने तहसीलदार, टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी शंकर को बन्नालाल पिता मांगीलाल ने अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था । बन्नालाल पुत्र मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 2.4.2015 को हो चुकी है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के साथ बन्नालाल पुत्र मांगीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र, व पंचनामे की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बन्नालाल पुत्र मांगीलाल की विरासत का नामांतकरण प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावे । तहसीलदार, टोंक ने प्रकरण धारा 135 (2) एल.आर.एक्ट. में दर्ज कर प्रकरण की सुनवाई कर दिनांक 22.9. 2015 को निर्णय पारित करते हुए शंकर पुत्र बच्छा को बन्नालाल पुत्र मांगीलाल का गोद पुत्र मानते हुए बन्नालाल की विरासत का नामांतकरण शंकर पुत्र बच्छा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि निर्णय पारित करते समय तहसीलदार, टोंक ने पटवारी हल्का लवादर से प्राप्त रिपोर्ट, जिसके अनुसार बन्नालाल पुत्र मांगीलाल अविवाहित फौत हो गया था तथा मृतक बन्नालाल ने अपने जीवनकाल में ही शंकर पुत्र बच्छालाल को गोद ले लिया था। तहसीलदार, टोंक ने परिवार के शेष सदस्यों को नोटिस देकर प्रकरण धारा 135(2) में दर्ज कर प्रकरण की सुनवाई की गई । तहसीलदार, टोंक ने विवादित निर्णय दिनांक 22.9.2015 को पारित करते समय इस विधिक बिन्दू को नजरअंदाज किया कि गोद की रस्म कर देने मात्र व पंचनामें की लिखावट के आधार पर कोई व्यक्ति किसी के गोद जाना साबित नहीं होता है परन्तु तहसीलदार ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर विवादित निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस विधिक बिन्दु को नजर अंदाज किया कि हिन्दू दत्तक ग्रहण अधि0 में जो प्रावधान दिये गये है उन प्रावधानों के विपरीत जाकर तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित कथनों पर विश्वास करते हुए शंकरलाल को बन्नालाल का दत्तक पुत्र मानने में विधिक त्रुटि की है जबकि बच्छालाल ने अपने पुत्र शंकर को बन्नालाल को गोद देना साबित नहीं करवाया तथा ना ही बन्नालाल ने अपने जीवनकाल में शंकर को गोद लेना किसी पंजीबद्ध दस्तावेज से साबित करवाया है, केवल मात्र पंचनामे की छाया प्रति के आधार पर शंकर पुत्र बच्छालाल को बन्नालाल का दत्तक पुत्र मानने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील

अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि कोई व्यक्ति किसी के गोद जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर उसको उप पंजीयक कार्यालय जाकर अपने गोदनामे को पंजीयन करना आवश्यक होता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में रजिस्टर्ड गोदनामा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, इसलिये नाऔलाद मृतक की विरासत उसके नाम अंकित नहीं हो सकती है । अधी0 न्याया0 को हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के अनुसरण में मृतक के प्रथम श्रेणी के जायंदा वारिस नहीं होने पर द्वितीय श्रेणी के जायंदा वारिसों में विरासत अंकित करनी चाहिये थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा गोद पुत्र का बिन्दु धारा 135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधि0 1956 की समरी कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता बल्कि गोदनामे के आधार पर सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही रेस्पो0 संख्या 1 को हक व अधिकार प्राप्त हो सकते थे । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस मीणा जाति के सदस्य है तथा मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते है बल्कि मीणा जाति के कानून के अनुसार ही हिस्सा तय होता है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि मीणा जाति के रीति-रिवाज अनुसार गोदनामा लिखित में होना आवश्यक नहीं है तथा सिविल न्यायालय से गोदपुत्र साबित करवाया जाना आवश्यक नहीं है तथा ग्रामवासियों ने भी शंकरलाल को बन्नालाल का गोद पुत्र होना अपने बयानों में अंकित किया है, जिससे भी यह साबित था कि बन्नालाल ने अपने जीवनकाल में शंकरलाल को गोद पुत्र रखा था। विद्वान वकील रेस्पो0 ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि समाज के पंचों के सामने रेस्पो0संख्या 1 के पगड़ी बांधने की पुष्टि समाज के पंचों द्वारा ही की जाने पर किसी गोदनामे की आवश्यकता नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने मीणा समाज के रीति-रिवाजों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1998 पेज 307, आर0एल0डब्ल्यू0(राजस्थान) 2012 पेज 749, आर0एल0डब्ल्यू0 2003 (3) पेज 1891 एवं हिन्दु दत्तक ग्रहण अधि0 1956 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये ।

5- विद्वान वकील अपीलांट ने जवाब उल जवाब में कथन किया कि हिन्दू दत्तक ग्रहण अधि0 1956 के प्रावधान सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होते है। उक्त अधि0 के तहत पंजीकृत गोदनामा होना आवश्यक है तथा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा नहीं होने से सभी पुत्रों में समान रूप से सम्पति निहित होती है । साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान

एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 शंकर ने बन्नालाल की मृत्यु उपरांत अपने आपको शंकर का दत्तक पुत्र बताकर तहसीलदार, टोंक के समक्ष नामांतकरण की कार्यवाही हेतु आवेदन किया था। तहसीलदार ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की है। पटवारी हल्का ने अपने मौका पर्चा दिनांक 20.7.2015 में अंकित किया है कि " ग्राम गुलाबपुरा के मोतबिरान से पूछतांछ की गई, उपस्थित मोतबिरान ने बताया कि बन्नालाल पुत्र मांगीलाल, जाति मीणा नि0 गुलाबपुरा अविवाहित फौत हो चुका है । बन्नालाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने भाई के पुत्र शंकर को गोद ले लिया था । हिन्दू रस्म रिवाज के मुताबिक बन्नालाल का अंतिम संस्कार शंकर ने ही किया तथा पंचों ने शंकर के ही पगड़ी दस्तूर होना बताया है । शंकर से पूछतांछ करने पर बताया कि मैंने रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं करवाया है ।" प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 शंकर ने अधी0न्याया0 में समाज के पंचों द्वारा जारी पंचानामा की छाया प्रति भी प्रस्तुत की है । इस पंचानामा के अनुसार मृतक बन्नालाल ने अपने जीवनकाल में शंकर को अपने पास रख लिया था तथा बन्नालाल की मृत्यु दिनांक 24.4.2015 को हुई, तब उसका दाह संस्कार, क्रियाकर्म शंकर ने ही किया था तथा 12 वें दिन पगड़ी का दस्तूर भी समाज, रिश्तेदार, परिवार वालों के सामने शंकर के हुआ था । रेस्पो0 संख्या 1 का यह भी कथन रहा है कि मीणा समाज पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 लागू नहीं होता है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने रिपोर्ट पटवारी, परिवारजनों के बयानात व पंचनामे के अनुसार शंकर को बन्नालाल द्वारा अपने जीवनकाल में गोद लिया जाना मानकर मृतक बन्नालाल की विरासत का नामांतकरण शंकर दत्तक पुत्र बन्नालाल के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है ।

7- इसके विपरीत अपीलांट का कथन है कि गोद की रस्म कर देने मात्र व पंचनामे की लिखावट के आधार पर कोई व्यक्ति किसी के गोद जाना साबित नहीं होता है । रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार गोदनामे का पंजीयन आवश्यक है तथा हिन्दू दत्तक ग्रहण अधि0 1956 के प्रावधान सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होते है ।

8- प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमत विचारणीय बिन्दू पंजीकृत गोदनामा के अभाव में शंकर को मृतक बन्नालाल का दत्तक पुत्र माने जाने को लेकर है, द्वितीय यह कि क्या राजस्व न्यायालय को गोदपुत्र घोषित तथा गोदपुत्र की वैधता का परीक्षण करने का अधिकार है अथवा नहीं ?

9- इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने इस संबंध में अपने निर्णय में किसी प्रकार का विवेचन नहीं कर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट, पंचनामा एवं बयानों के आधार पर शंकर को मृतक बन्नालाल का गोदपुत्र मानकर विरासत का नामांतकरण

तस्दीक करने के आदेश पारित किये है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध पंचनामा की फोटो प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पंचनामा असल प्रति न होकर फोटो प्रति है जिस पर सरपंच रामलाल बलाई ग्राम पंचायत लवादर, पंचायत समिति टोंक तथा वार्ड पंच गुलाबपुरा एवं अन्य पंचों के हस्ताक्षर है किन्तु उक्त पंचनामा में कांट–छांट (ओवर राईटिंग) करके शंकर का नाम जोड़ा गया है। पंचनामा में उक्त कांट–छांट से तथाकथित पंचनामा संदिग्ध प्रतीत होता है तथा ऐसे संदिग्ध पंचनामे के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को भी विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है ।

10- यद्यपि गोदनामे का पंजीकृत होना आवश्यक है परन्तु हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधि0 1956 के प्रावधानुसार गोदनामे के संबंध में गोद जाने वाले व लेने वाले के माता–पिता की सहमति होना, गोद जाने वाले व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से ज्यादा न होना, इकलौता पुत्र नहीं होना तथा गीव एण्ड टेक सेरेमनी इत्यादि होना भी आवश्यक है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 1 शंकर का मृतक बच्छालाल के गोद जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार तथ्यों से संबंधित कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ।

11- अधी0 न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का लवादर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि बन्नालाल पुत्र मांगीलाल अविवाहित फौत हुआ था, जिसके कोई भी प्रथम श्रेणी का वारिसान नहीं होने से उसके भाई, भाई की संतान एवं माता ही द्वितीय क्षेणी के वारिसान है । यद्यपि हिन्दू उत्तराधिकारी अधि0 1956 की धारा 2(2) के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के प्रावधान मीणा समाज में लागू नहीं होते है किन्तु इस संबंध में भारत सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करके उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 का मृतक बन्नालाल के गोद जाने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मृतक बन्नालाल की विरासत प्रथम श्रेणी के वारिसान के अभाव में मृतक के द्वितीय श्रेणी के वारिसानों में तस्दीक किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 एवं मीणा समाज के प्रचलित नियमों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.9.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 109/2015 (2015/00033) बउनवानी मदन बनाम शंकर को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 20/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.9.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम

में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अधी0न्याया0 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के प्रावधानुसार मृतक बन्नालाल की विरासत के क्रम में प्रथम श्रेणी के वारिसान के अभाव में मृतक के द्वितीय श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच कर दोनों पक्षों के सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को एक निश्चित अवधि में निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर